

7
सं०सं०-1/ना०प०सं०-01/2016- 1235(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

*द्वारा- वित्त विभाग।

पटना, दिनांक- 9 / 9 / 2016

विषय:- राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत महाविद्यालयों, अभियंत्रण/ तकनीकी महाविद्यालयों में स्वच्छ एवं पारदर्शी नामांकन के अनुश्रवण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में गठित नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार हेतु विभिन्न कोटि के कुल 9 (नौ) पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत महाविद्यालयों, अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालयों में स्वच्छ एवं पारदर्शी नामांकन के अनुश्रवण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (सिविल)-5041/05 में दिनांक-20.08.2005 को पारित आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में नामांकन पर्यवेक्षण समिति गठित की गई है।

(2) नामांकन पर्यवेक्षण समिति के संचालन हेतु तत्काल विभिन्न कोटि के 9 (नौ) पदों का सृजन किया जाना अपेक्षित है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-136 दिनांक-05.01.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा माननीय न्यायाधीश, श्री अमरेश कुमार लाल (सेवानिवृत्त) को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा चुका है एवं शेष 8 (आठ) पद संविदा/अनुबंध के आधार पर होंगे।

(3) इन सृजित किये जाने वाले पदों पर वार्षिक अनुमानित व्यय कुल रु० 37,80,000/- (रुपये सैंतीस लाख अस्सी हजार) मात्र आकलित है, जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(4) इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0016-नामांकन पर्यवेक्षण समिति, विपत्र कोड-एन2210051050016 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-01.08.2015 में मद संख्या-23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

(6) राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति सं०सं०-1/ना०प०सं०-01/2016 के पृष्ठ-16/टि० द्वारा प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

क्रमशः


ज्ञापांक-1/ना0प0स0-01/2016- 1235(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 9 / 9 /2016

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।

नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार, पटना हेतु विभिन्न कोटि के सृजित किये जाने वाले पदों का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी

क्र० सं०	पदनाम	नियत वेतन	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वार्षिक वेतन	महंगाई भत्ता 125%	विक्रिस्ता प्रतिपूर्ति	आवास भत्ता 20%	परिवहन भत्ता	कुल योग	अभ्युक्ति
1	अध्यक्ष	80000	1	960000	1200000	12000	192000	12000	2376000	माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के अंतिम वेतन से पेंशन घटाकर चांश देय होगी।
2	कार्यालय प्रबंधक	28000	1	336000	—	—	—	—	336000	
3	कार्यपालक सहायक	16000	2	384000	—	—	—	—	384000	सविदा / अनुबंध के आधार पर
4	निजी सहायक	16000	1	192000	—	—	—	—	192000	
5	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	11000	1	132000	—	—	—	—	132000	
6	कार्यालय परिचारी	10000	3	360000	—	—	—	—	360000	
	कुल योग—		9	2364000					3780000	

(रुपये सैतीस लाख अस्सी हजार)

1835(1)
9-9-16


सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक...5.11.16.....

संख्या-7/स्था0-05-02/2015सा0प्र0.....136...../महानिबंधक, उच्च न्यायालय,

पटना के पत्रांक-65163 दिनांक 07.11.2015 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में अध्यक्ष, निजी मेडिकल/डेंटल/अभियंत्रण तकनीकी महाविद्यालय, बिहार में नामांकन पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष के पद पर माननीय न्यायमूर्ति श्री अमरेश कुमार लाल (सेवानिवृत्त) को नामित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(अरुण प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक-7/स्था0-05-02/2015सा0प्र0.....136...../ पटना-15, दिनांक...5.11.16.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) सी0डी0 सहित प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-05-02/2015सा0प्र0.....136...../ पटना-15, दिनांक...5.11.16.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-65163 दिनांक 07.11.2015 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय न्यायमूर्ति श्री अमरेश कुमार लाल (सेवानिवृत्त), द्वारा महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।